By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/1/VC(UP)/2019/RU-I

Dated: 14/03/2019

To,

1. The District Magistrate,
   District – Varanasi,
   (Uttar Pradesh).
2. The District Magistrate,
   District – Ghazipur,
   (Uttar Pradesh).
3. The District Magistrate,
   District – Mau,
   (Uttar Pradesh)
4. The District Magistrate,
   District – Jaunpur,
   (Uttar Pradesh).
5. The District Magistrate,
   District – Ballia,
   (Uttar Pradesh).
6. The District Magistrate,
   District – Azamgarh,
   (Uttar Pradesh)

Sub: माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 08.02.2019 से 11.02.2019 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की दौरा रिपोर्ट।

महोदय,

सुश्री अनुसुइया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 08.02.2019 से 11.02.2019 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ तथा जौनपुर जिलों का क्षेत्रीय दौरा किया गया, रिपोर्ट संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि दौरा रिपोर्ट की अनुसंशाओं पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही से आयोग को पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर सूचना भेजने का कष्ट करे।

भवदीय,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/ सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow

Copy to:

1. PS to Hon'ble VC, NCST
2. NIC (for hosting on Commission website)
3. AD (Coord), NCST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनांक 08 फरवरी 2019 से 11 फरवरी 2019 तक उत्तर प्रदेश के छह जिलों यथा- वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर का क्षेत्रीय दौरा।

दौरा रिपोर्ट :

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	**1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार **2. श्री गौरव कुमार** उपाध्यक्ष के निजी सचिव **3. श्री राजेश्वर कुमार** सहायक निदेशक
2.	दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	08 फरवरी 2019 से 11 फरवरी 2019
3.	दौरा किया गया स्थान	वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण / संगठनों से मिले	**प्रमुख अधिकारी:-** 1. डॉ नागेंद्र, एसडीएम, पिंडरा, वाराणसी 2. श्री पी के सिंह, समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी 3. श्री के बालाजी, जिला कलेक्टर, गाजीपुर 4. श्री यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर 5. श्री रमेश मौर्या, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गाजीपुर 6. श्री भवानी सिंह, जिला कलेक्टर, बलिया 7. श्री देवेन्द्र नाथ, पुलिस अधीक्षक, बलिया 8. श्री बी एन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया 9. श्री मनोज सिंघल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बलिया 10.श्री ज्ञान प्रकाश यादव, एसडीएम (आर), बलिया 11.श्री ए के श्रीवास्तव, एसडीएम (सदर), बलिया 12.श्री राजेश कुमार यादव, एसडीएम (एसकेपी), बलिया 13.श्री लालबाबू दूबे, एसडीएम, बैरिया, बलिया 14.श्री प्रकाश बिन्दु, जिला कलेक्टर, मऊ 15.श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ 16.श्री बी प्रसाद, नगराधीश, मऊ 17.श्री विनोद यादव, समाज कल्याण अधिकारी, मऊ

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		18.श्री रितेश बिंदल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मऊ 19.श्री आलोक जयसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ 20.श्री देवी पाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मऊ 21.श्री डी एस उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ 22.श्री आशाराम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, आजमगढ़ 23.श्री राजेश यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ 24.श्री नरेंद्र सिंह, एसडीएम, आजमगढ़ 25.श्री हेमंत कुमार, तहसीलदार (सदर) आजमगढ़ 26.श्री अरविंद मलप्पा एएम बेंगारी, जिला कलेक्टर, जौनपुर 27.श्री गौरव वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर 28.श्री विपिन यादव, समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर 29.श्री आर पी मिश्रा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जौनपुर 30.श्री संतोष कुमार डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जौनपुर **प्रमुख व्यक्तिः-** 31.श्री डॉ. बनवारी लाल, अध्यक्ष, जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, वाराणसी 32.श्रीमती डॉ. पुष्पा अग्रवाल, संरक्षक, जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, वाराणसी 33.श्री बृजभान मरावी, सचिव/ प्रबन्धक, जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, वाराणसी 34.डॉ महेश प्रसाद अहिरवार, सहायक प्राध्यापक, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 35.श्री कमलेश नारायण गोंड, से नि अपर आयुक्त 36.श्री अरविंद गोंड, जनजाति समाज के प्रतिनिधि 37.श्री अरुण कुमार गोंड, गोंड वेल्फेयर इम्प्लाईज़ एसोशिएसन, उत्तर प्रदेश 38.श्री गिरीश गोंड, कोषाध्यक्ष, गोंड महासभा, गाजीपुर 39.डॉ रामनाथ गोंड, गाजीपुर 40.श्रीमती प्रेमशिला, जिला पंचायत सदस्य, गाजीपुर 41. श्री राजेन्द्र राम गोंड, महामंत्री, गोंड महासभा 42.श्री रामेश्वर गोंड, प्रदेश अध्यक्ष, गोंड महासभा 43.फौजी किशन लाल गोंड, मऊ 44.श्री राजीव प्रसाद, गोंड समाज प्रतिनिधि एवं नगर न्यायधीश कानपुर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		45.श्री रामकुँवर गोंड, जिला अध्यक्ष, गोंड महासभा 46.श्री रामअवध गोंड, संरक्षक, गोंड महासभा 47.डॉ शिवमुनी, गोंड समाज प्रतिनिधि 48.श्री सुरेश गोंड, महासचिव, जनजाति विकास संस्थान 49.श्री भूपेन्द्र गोंड, जिला महामंत्री 50.श्री सुआल प्रसाद गोंड, अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, आजमगढ़ 51.कन्हैया लाल गोंड, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, आजमगढ़ 52. श्री सुदर्शन खरवार, जिलाध्यक्ष, खरवार संघ, आजमगढ़ 53.श्री दीपू खरवार, जिला उपाध्यक्ष, खरवार संघ, आजमगढ़ 54.श्रीमती सूर्यमुखी गोंड, प्रदेश महिला अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा 55.श्री जयनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, आजमगढ़ 56.श्री सत्येन्द्र गोंड, क्षेत्रीय मंत्री, आजमगाढ़ एवं विभिन्न जनजाति समाज के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि आदि।
5.	**दौरा के मुख्य बिन्दु :** उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप विभिन्न जिलों मे अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी नही किए जाने तथा पूर्व मे जारी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के मामले मे आयोग को प्राप्त शिकायतों के जांच के लिए उत्तर प्रदेश के छह जिलों- वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर का दौरा किया गया। (भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)	
	दिनांक 08 फरवरी 2019 1. **वाराणसी** आगमन, लक्ष्मण दास अतिथि गृह, बीएचयू वाराणसी मे विभिन्न जनजातीय प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएँ सुनी, और क्षेत्र की जनजातियों से संबन्धित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जिले मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की प्रमुख समस्या जाति प्रमाण पत्र का जारी नही होना बताया गया। इसके अतिरिक्त जनजाति समाज के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी प्राप्त हुई। बीएचयू के अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षक प्रतिनिधियों ने आयोग से मिलकर आरक्षण नियमों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा का अनुरोध किया और आयोग को अवगत कराया कि बीएचयू मे आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही है।	

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वाराणसी एयरपोर्ट पर अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के बीच माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसुईया उइके

2. जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान वाराणसी कार्यालय का भ्रमण कर एक दिवसीय संगोष्ठी "आदिवासी समाज की संवैधानिक अस्तित्व संकट वर्तमान समय" विषयक का उदघाटन मुख्य अतिथि माननीय सुश्री अनुसूइया उइके उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा किया गया। अपने सम्बोधन मे उन्होने कहा कि आदिवासी समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जिससे वे अपने अधिकार को जान सके और वर्तमान समय में देश का विकास में भागीदार बने क्योकि आदिवासी ही भारत का असली मूलनिवासी है जो लाखो वर्षो से भारत भूमि पर रहकर यहा कि प्रकृति, खनीज, और सम्पदा को बचाये रखे है जिनमें तात्याभील, बिरसा मुण्डा, मात्रशक्ति महारानी दुर्गावती, तिलका माझी, गुण्डाधुर, राजाशंकर शाह एवं रघुनाथ शाह अनेक आदिवासी महापुरूषों ने भारत के आजादी के लड़ाई में अपनी जान तक गवानी पड़ी लेकिन आज उन्हें लोग भूल रहें है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान वाराणसी मे एक दिवसीय संगोष्ठी मे संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

दिनांक 09 फरवरी 2019

3. **गाजीपुर जिला समीक्षा बैठक-** गाजीपुर जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा कर वहाँ की समस्या का जायजा लिया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी नही होना समस्या है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि विभिन्न विभागों मे नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति मांगी जाती है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसके बावजूद बार -बार जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने से काफी समस्याएँ आती है। जिले मे तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने मे भी कई तरह से समस्या पैदा की जाती है और उनके आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके जाति प्रमाण पत्र पूर्व मे बन चुके हैं उनके प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिये जाते हैं। बैठक मे जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे जिन्हे शासनादेश के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गाजीपुर जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

4. **आईटीआई मैदान, गाजीपुर** मे गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती का 454 वां बलिदान दिवस कार्यक्रम एवं गोंड जनजाति सम्मेलन मे मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित करीब 5000 जनजाति समाज के लोगों को संबोथित किया। अपने सम्बोधन मे उन्होने जनजाति समाज के महान इतिहास और संस्कृति का बखान किया और कहा कि आदिवासी होना गौरव का विषय है। इस दौरान उन्होने आयोग के विषय मे विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों को बताया। उन्होने उपस्थित जन समूह को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या के निवारण के लिये आयोग का और उनका स्वयं का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष के सम्बोधन के द्वारा भारी संख्या मे एकत्र भीड़ ने आयोग के विषय मे जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने अधिकारों और संवैधानिक संरक्षणों के प्रति भी जानकारी प्राप्त की।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गाजीपुर जिले मे मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

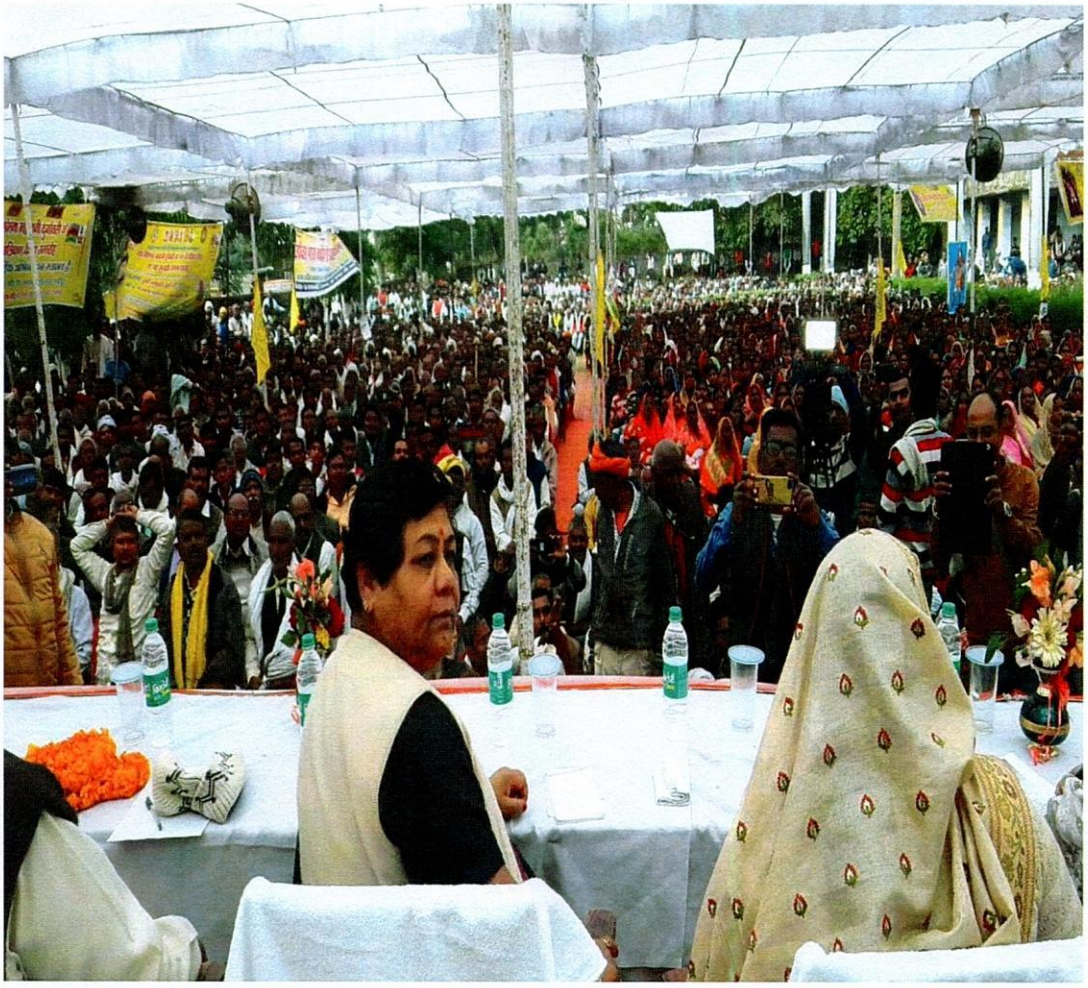

गाजीपुर जिले मे उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. **मनोरंजन हॉल, टीडी कालेज, बलिया मे आयोजित एक** कार्यक्रम एवं गोंड जनजाति सम्मेलन मे मुख्य अतिथि के रूप मे आयोग की माननीय उपाध्यक्ष ने एकत्र जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के समक्ष अपना सम्बोधन दिया। उन्होने आयोग के विषय मे लोगों को विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, आयोग के अधिकार के विषय मे लोगों को अवगत कराया। इसके अलावा उन्होने आयोग मे कैसे शिकायत करें तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा के विषय मे भी विस्तार से जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने आयोग की जानकारी के पश्चात काफी उत्साह व्यक्त किया और इस दौरान उन्होने आयोग के समक्ष अपनी काफी शिकायतें प्रस्तुत की जिसे बाद मे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया और समुचित कार्यवाही कर आयोग को शीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

मनोरंजन हॉल, टीडी कालेज, बलिया मे आयोजित एक कार्यक्रम मे संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6. **बलिया जिला समीक्षा बैठक-** बलिया जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा कर वहाँ की समस्या का जायजा लिया गया। यहाँ भी मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र जारी नही होना समस्या है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि विभिन्न विभागों मे नौकरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति मांगी जाती है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसके बावजूद बार -बार जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने से काफी समस्याएँ आती है। जिले मे तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने मे भी कई तरह से समस्या पैदा की जाती है और उनके आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके जाति प्रमाण पत्र पूर्व मे बन चुके हैं उनके प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिये जाते हैं। बैठक मे जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे जिन्हे शासनादेश के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुशंसा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आयोग के पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि जिले मे एक भी एकलव्य विद्यालय नही है। उन्होने बताया कि 2 एसटी छात्रावास है जो सुचारु रूप से चल रहा है।

बलिया जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 10 फरवरी 2019

1. **गोंड जनजाति सभा, मऊ** के कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे आयोग की माननीय उपाध्यक्ष ने एकत्र जनजाति समाज के प्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों के विषय मे प्रतिवेदन प्राप्त किया और उनकी समस्याएँ सुनी। इसके साथ ही उपस्थित जन समूह ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि मऊ जिले मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नही बनाया जाता, बिना जांच के और शासनादेश का उल्लंघन कर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने इस दौरान जनजाति समाज के लोगों के बीच अपना सम्बोधन दिया। उन्होने आयोग के विषय मे लोगों को विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, आयोग के अधिकार के विषय मे लोगों को अवगत कराया। उन्होने आयोग मे कैसे शिकायत करें इसकी जानकारी भी लोगों को दी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा के विषय मे भी विस्तार से जानकारी दी।

गोंड जनजाति सभा, मऊ मे आयोजित एक कार्यक्रम मे संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गोंड जनजाति सभा, मऊ मे आयोजित एक कार्यक्रम मे उपस्थित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग

2. **मऊ जिला समीक्षा बैठक-** मऊ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा कर जिले मे जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी कराने मे आ रही समस्या से जिले के संबन्धित अधिकारियों को अवगत कराया। यहाँ यह बात सामने आई कि जिले मे तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने मे भी कई तरह से समस्या पैदा की जाती है और उनके आवेदन निरर्थक आधार पर निरस्त कर दिये जाते हैं। आयोग की माननीय उपाध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय मे जानकारी मांगी जिसके प्रत्युत्तर मे आयोग को अवगत कराया गया कि जिले मे उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 817 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमे से 413 आवेदन अपूर्ण होने तथा साक्ष्य के अभाव मे निरस्त कर दिये गए। अभी कुल 60 आवेदन पर कार्यवाही चल रही है जो जल्द जारी कर दिये जाएँगे। आयोग ने इस मामले मे अधिकारियों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी से असंतुष्टि जाहिर की गई। आयोग ने पाया कि लेखपाल द्वारा आवेदन पर ऑनलाइन गलत टिप्पणी की जाती है जिसे तहसीलदार स्तर के अधिकारी नजरंदाज कर रहे हैं। ऐसे मे आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि जिले मे एक प्रारूप तय कर दिया जाय जिसमे लेखपाल अपनी टिप्पणी लिखें। इससे अपर्याप्त सूचना की समस्या सामनए नही आए और सही तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मऊ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

मऊ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. **नेहरू हॉल, आजमगढ़** के कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे आयोग की माननीय उपाध्यक्ष ने एकत्र जनजाति समाज के प्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों के विषय मे प्रतिवेदन प्राप्त किया और उनकी समस्याएँ सुनी। उपस्थित जन समूह ने अवगत कराया कि आजमगढ़ जिले मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नही बनाया जाता, बिना जांच के और शासनादेश का उल्लंघन कर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने इस दौरान जनजाति समाज के लोगों के बीच अपना सम्बोधन दिया। उन्होने आयोग के विषय मे लोगों को विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, आयोग के अधिकार के विषय मे लोगों को अवगत कराया। उन्होने आयोग मे कैसे शिकायत करें इसकी जानकारी भी लोगों को दी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा के विषय मे भी विस्तार से जानकारी दी।

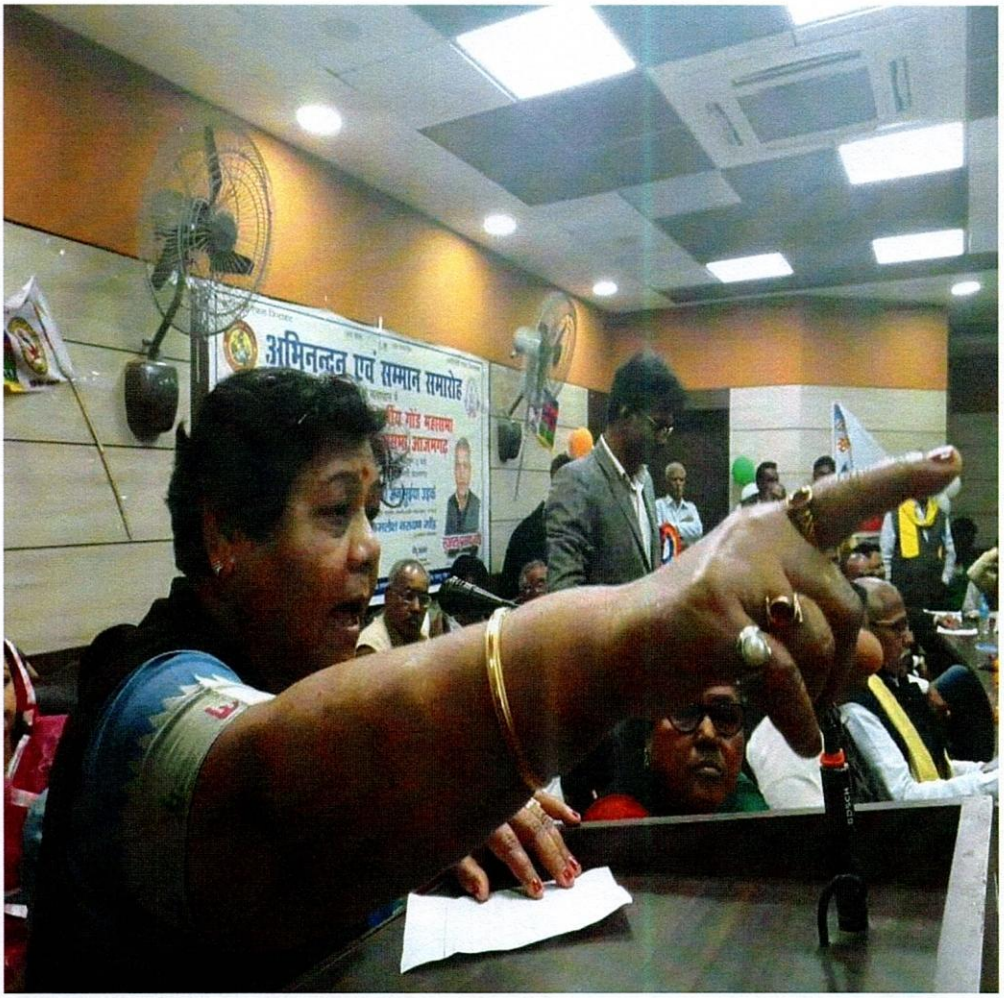

गोंड जनजाति सभा, आजमगढ़ मे आयोजित एक कार्यक्रम मे संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गोंड जनजाति सभा, आजमगढ़ मे आयोजित एक कार्यक्रम मे
माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

4. **आजमगढ़ जिला समीक्षा बैठक-** आजमगढ़ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा कर जिले मे जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी कराने मे आ रही समस्या से जिले के संबन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया। यहाँ यह बात सामने आई कि जिले मे तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने मे भी कई तरह से समस्या पैदा की जाती है और उनके आवेदन निरर्थक आधार पर निरस्त कर दिये जाते हैं। आयोग की माननीय उपाध्यक्ष ने कई ऐसे आवेदन जो निरस्त किए गए हैं उनकी जांच की जिसमें भारी अनियमितता पाई गई। कई आवेदन पर लेखपाल द्वारा निरर्थक टिप्पणी लिखी गई है, जैसे किसी पर "हहहहहहहहहह", "रररररररर" आदि निरर्थक शब्द लिखे गये है और उस टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार (सदर) द्वारा आवेदन निरस्त कर दिये गए हैं। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाई की अनुशंसा की। आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शासनादेश के आधार पर जाति की जांच की जानी चाहिए और लेखपाल द्वारा समुचित टिप्पणी की जानी चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

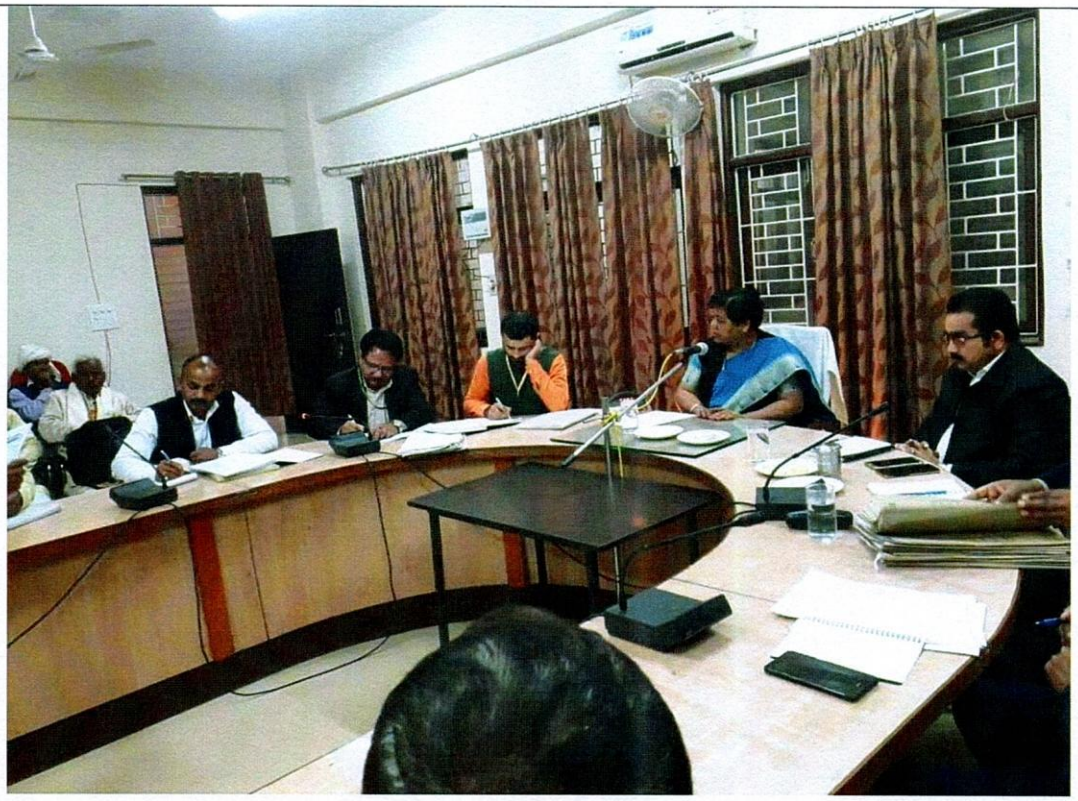

आजमगढ़ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

आजमगढ़ जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

दिनांक 11 फरवरी 2019

1. **लालगंज तहसील, आजमगढ़** मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नही बनाए जाने तथा इससे संबन्धित समस्या के लिए 995 दिनों से धरनारत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के धरनास्थल पर माननीय उपाध्यक्ष एसडीएम, तहसीलदार, समाज कल्याण अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ पहुंची। इस दौरान उनकी मांगों के अनुरूप कार्यवाही करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही के लिए कहा। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा तत्काल कुछ लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना कर जारी कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने धारनारत लोगों को आश्वस्त किया कि आयोग उनके अधिकारों का रक्षक है आयोग के आश्वस्त किए जाने के पश्चात तत्काल उन्होने धरना समाप्त करने की घोषणा की। माननीय उपाध्यक्ष ने जूस पिला कर वर्षों से जारी इस धरना को समाप्त कराया। इस दौरान एकत्र जन समूह को संबोधित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष ने आयोग के विषय मे जानकारी देने के साथ ही लोगों को यह भी बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण और सशक्तीकरण की कौन- कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है और वे उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

लालगंज तहसील, आजमगढ़ मे 995 दिनों से धरनारत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को जूस पिला कर धरना को समाप्त कराते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

लालगंज तहसील, आजमगढ़ मे 995 दिनों से धरनारत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

2. **जिला समीक्षा बैठक जौनपुर** जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक की गई। बैठक मे जिले मे जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी कराने मे आ रही समस्या से जिले के संबन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान अस्वीकृत आवेदनों की जांच की गई जिसमे भारी लापरवाही सामने आई। लेखपाल द्वारा शासनादेश की अनदेखी कर राजस्व रिकॉर्ड देखे बिना टिप्पणी कर दी जाती है और इसके आधार पर तहसीलदार प्रमाण पत्र का आवेदन निरस्त कर देते हैं। आयोग ने इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया और जिला कलेक्टर से लापरवाह और अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी - अधिकारी पर कार्यवाई की अनुशंसा की। आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शासनादेश के आधार पर जाति की जांच की जानी चाहिए और लेखपाल द्वारा समुचित टिप्पणी की जानी चाहिए, लेखपाल जाति का निर्धारक नही है उसे केवल अपनी सही जांच आख्या प्रस्तुत करनी चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जौनपुर जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

जौनपुर जिले के अधिकारियों और अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

1.	**अनुवर्ती कार्यवाई किया गया एवं किसके द्वारा:** (जिसके साथ मुद्दे पर एन. सी. एस. टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई की जानी है, उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफ़ारिशों का उल्लेख किया जाय)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप विभिन्न जिलों मे अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी नही किए जाने तथा पूर्व मे जारी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के मामले मे आयोग को प्राप्त शिकायतों के जांच के लिए उत्तर प्रदेश के छह जिलों- वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर का दौरा किया गया। जिला समीक्षा बैठक, जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने और निरस्त आवेदन के जांच के दौरान कई अहम मुद्दे और अनियमितता सामने आई। इनमे कुछ अहम मुद्दे निम्नलिखित है जिस पर आयोग अनुशंसा करता है:-

1. सबसे अहम समस्या जो सभी जिलों मे सामान्य है वह यह है कि लेखपाल के द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तुत आवेदन पर शासनादेश के प्रतिकूल जांच आख्या/ टिप्पणी की जाती है। जाती प्रमाण पत्र के जांच के लिए निर्धारित मापदंड का पालन नही किया जाता, किसी तरह के दस्तावेज़ नही देखे जाते और केवल स्थलीय पूछताछ कर लेखपाल की टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार इसे निरस्त कर देते हैं। आयोग यह अनुशंसा करता है कि सभी जिले मे लेखपाल द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे समुचित तरीके से प्रशिक्षित किया जाय कि उन्हे किन आधार पर जाति की जांच करनी है। इसके लिए शासनादेश मे स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गए हैं। साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि लेखपाल द्वारा टिप्पणी देने के लिए एक शासनादेश के अनुरूप एक स्पष्ट प्रारूप बनाया जाय जिसके आधार पर लेखपाल अपनी टिप्पणी देंगे।
2. शासनादेश के आधार पर जाति की जांच की जानी चाहिए और लेखपाल द्वारा समुचित टिप्पणी की जानी चाहिए, लेखपाल जाति का निर्धारक नही है उसे केवल दस्तावेजों के आधार पर अपनी सही जांच आख्या प्रस्तुत करनी चाहिए।
3. आयोग द्वारा निरस्त किए गए आवेदनों की जांच मे यह पाया गया कि कई जिलों मे निरर्थक आधार पर आवेदन निरस्त कर दिये गए हैं। कई आवेदन पर लेखपाल द्वारा निरर्थक टिप्पणी लिखी गई है, जैसे आजमगढ़ के सदर तहसीलदार द्वारा निरस्त आवेदनों मे निरस्त करने के कारण की जगह "हहहहहहहहहह", "रररररररर" आदि निरर्थक शब्द लिखे गये है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबन्धित लेखपाल तथा तहसीलदार सदर पर कार्यवाई हेतु अनुशंसा करता है।
4. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि निरर्थक आधारों पर और बिना समुचित जांच के निरस्त आवेदनों की दुबारा शासनादेश के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच की जाय और सही तथा योग्य लोगों के आवेदन पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. कई जिले मे ऐसी समस्या भी आयोग के समक्ष आई कि विभिन्न विभागों द्वारा 6 माह से अधिक पुराने जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जाता। इसके लिए नया आवेदन जब लोग करते है तो नया जारी नही किया जाता साथ ही पुराने जाति प्रमाण पत्र को भी निरस्त कर दिया जाता है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि जिनके जाति प्रमाण पत्र पूर्व मे बन चुके हैं उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कर दिया जाय तथा जरूरत के अनुरूप उसे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सुश्री अनसुईया उइके

(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)